1041 1024

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. सत्यमेव जयते Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

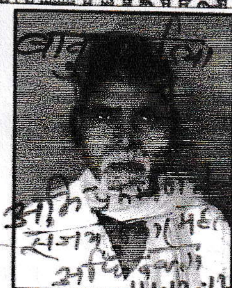

04AA 001405/12

तफसील वर्णित भूमि का मूल्य मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।

14-12-12

[illegible] अधिनियम 1908 की धारा 46 C.N. Pro. IC के अधीन [illegible] अधिनियम [illegible] 1899 की अनुसूची 1 के 23 I.A. [illegible]

with the Permission by L.R.D.C. Simdega vide Case No. 270/2009-10 Order dated 28-4-11

14-12-12

14-12-12

॥1॥ लेख्यकारी:- श्री बानु खड़िया पिता स्व0 जोहन खड़िया, जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा कोबीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 689/2012

बानु खड़िया क. अजय महतो 14/12/12

[illegible] पिता [illegible] गोतरा [illegible] सिमडेगा क. अजय महतो 14/12/12

1000 RS.

{2} लेख्यधारिणी:- सुश्री ममता कुल्लू पिता स्व0 जुलियुस कुल्लू जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा हेलेनपुर, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 690/2012

{3} लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

{4} मूल्य:- मोबलिग तीन लाख अठाईस हजार रूपये अंके 3,28,000/- रूपये होता है ।

{5} सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा भुड़टोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 09 {नौ} प्लॉट नं0 4733 {सैंतालिस सौ तैंतीस} रकबा 0.06$\frac{1}{2}$ एकड़ {साढ़े छः डिसमिल} जिसमें 0.03 एकड़ व्यवसायिक एवं 0.03$\frac{1}{2}$ एकड़ आवासीय जमीन है, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश रास्ता कच्चो छोड़ा गया,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का दूसरा भाग आवासीय,

पूरब :- प्लॉट नं0 4684 टांड़,

पश्चिम:- मेन रोड एन.एच. 23,

1000 RS.

--3--

{1} चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

{2} इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

{3} मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा उधो खड़िया के नाम से नाप दर्ज है । मेरे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अत: जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 270/2009-10 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 28.4.11 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 464(ii) दिनांक 28.4.2011 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

14/12/12

100Rs.

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

टे.नि.
बाबु रविदास,
व. क. अजय महतो
14/12/12

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाँये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया। संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
14.12.2012

टे.नि. बाबु रविदास
व. क. उत्तम मुखर्जी
14/12/12

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Mamta Kully

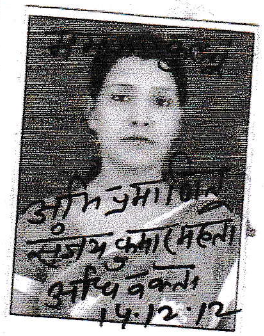

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बाँये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
{प्रारूपकर्त्ता}
तारीखः- 14.12.2012

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 618 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
14-12-2012

मो0 मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

14/12/12

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

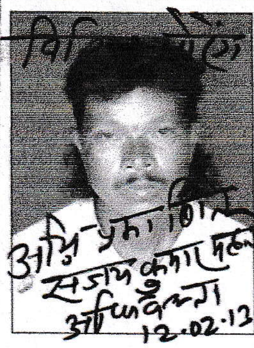

04AA 001485|13

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

[illegible] 1898 [illegible] 1899 [illegible]

23 I A with the permission by S.D.O. Simdega vide Case No. 269/15.4.11 order dt. 15.4.11

12/2/13

12.2.13

§1§ लेख्यकारोः- श्री विलियम सोरेंग पिता स्व0 पतरस सोरेंग जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. ..   बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्याः- 69/2013

1000 RS.

(2) लेख्यधारिणीः- सुश्री ममता कुल्लू पिता स्व0 जुलियुस कुल्लू जाति- खड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- गोतरा हेलेनपुर, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्याः- 70/2013

(3) लेख्यप्रकारः- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के लिए बिक्री होता है ।

(4) मूल्यः- मोबलिग तीन लाख चालीस हजार रूपये अंके 3,40,000/- रूपये होता है ।

(5) सम्पत्तिः- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा भुटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0 09 (नौ) प्लॉट नं0 4684 (छैयालिस सौ चौरासी) रकबा 0.17 एकड़ (सतरह डिसमिल) जिसकी चौहद्दीः-

उत्तरः- इसी प्लॉट का अंश छोड़ा गया रास्ता कच्ची,

दक्षिणः- इसी प्लॉट का अंश दूसरा भाग,

पूरब :- प्लॉट नं0 4686 आवासीय,

पश्चिमः- प्लॉट नं0 4733,

मालगुजारी 10 पैसा (दस पैसा) अलावे सेस सालाना ।

12.2.13

1000Rs.

--3--

वर्णित बिक्रीत जमीन आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है ।

﴾1﴿ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण हेतु रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

﴾2﴿ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

﴾3﴿ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन खतियानी है खतियान में मेरे परदादा उधो खड़िया वगैरह के नाम से नाप दर्ज है खतियानी रैयतों की मृत्यु हो चुकी है जो जमीन मैं बेच रहा हूँ वो मुझे उत्तराधिकारी के हैसियत से प्राप्त मेरे हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है [illegible]

12-2-13

1000Rs.

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य है अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 269/2009-10 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 15.4.11 को प्राप्त हुई जिसका मेमो नं० 417(ii) दिनांक 15.4.2011 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान, शहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण- रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं, घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजरूआ से सम्बन्धित नहीं है ।

12-2-13

500Rs.

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

विलियम ओरेया
12-2-13

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाँये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
12.02.2013

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

ममता कुमारी
12-2-2013

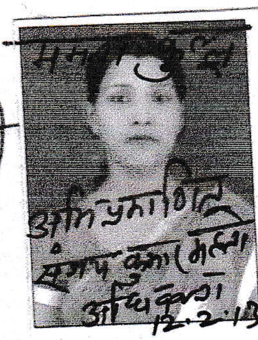

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बांये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
12.02.2013

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
{प्रारूपकर्त्ता}
तारीख- 12.02.2013

50 Rs.

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 624 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा के साथ संलग्न है ।

टंकक
मो० महबूब
12.2.2013
मो० महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।